53 न्यायालय श्रीमान् म० प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण निगरानी 3215/ 2012

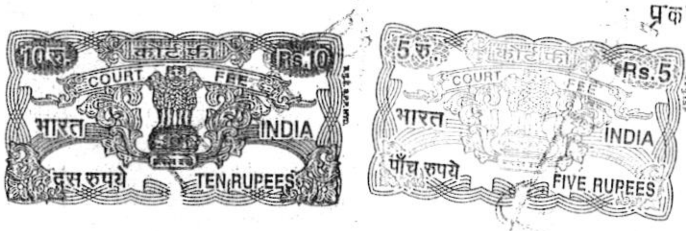

रिव्यू 3542-I/12

चन्द्रबिहारी तनय रामदयाल चौरसिया निवासी तिघरा कला तहसील मैहर जिला सतना म०प्र० ------ आवेदक

बनाम

1- श्रीमती जयमंगला पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा निवासी कोतवाली मैहर जिला सतना म०प्र०

2- शोभा पत्नी श्री सुरेन्द्र चौरसिया ।

3- नंदनी पत्नी श्री सुरेश चौरसिया दोनों निवासी पुरानी बस्ती मैहर जिला सतना म०प्र० ------- अनावेदक गण

श्री ... द्वारा आज दि. 12/10/12 को प्रस्तुत

लिपिक 12/10/12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51(7) म०प्र० भू.रा.सं. 1959.

मान्यवर,

आवेदक/अनावेदक गण की ओर से पुर्नविलोकन बावत् आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि आवेदक की ओर से तहसीलदार मैहर के अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक तहसील मैहर के द्वारा सीमांकन की पुष्टि दिनांक 16-7-2012 को आक्षेपित करते हुए सीमांकन की पुष्टि आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी थी ।

2- यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश चन्द्रबिहारी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को विचार में लेते हुए दिनांक 4-10-2012 को जरिये निगरानी प्रकरण क्र. 3215/12 के स्वीकार करते हुए राजस्व निरीक्षक मैहर जिला सतना द्वारा दिनांक 16-7-2012 को जरिये प्रकरण क्र. 54 अ/ 2011-12 को निरस्त कर दिया गया, जिससे परिवेदित होकर यह पुर्नविलोकन का आवेदन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

:: पुर्नविलोकन के आधार ::

1- यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आशय का आदेश विधि के विपरीत होने से संशोधित किए जाने योग्य है ।

2- यह कि माननीय न्यायालय द्वारा इस आधार पर निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक वृत्त मैहर तहसील मैहर जिला सतना म०प्र० के आदेश को निरस्त

--2--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3542–एक / 12जिला –सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22 -12-17	आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3215–एक / 12 में पारित आदेश दिनांक 16.7.12 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3542–एक / 12 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 3215–एक / 12 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.03.12 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु 3542–एक / 12 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता हैः– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक	

तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य